

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
30प्र0, शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ, दिनांक 04 जनवरी, 2016

विषय:- प्रदेश के सभी जनपदों में दिनांक 27 जनवरी से 03 फरवरी 2016 तक "मातृत्व सप्ताह" आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्ष 2015-16 को मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। चिकित्सा अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-596/पांच-9-2015-9-(127)/12टी0सी0, दिनांक 27 अप्रैल 2015 के माध्यम से सभी जनपदों में इस रणनीति के तहत ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों को सुदृढ करते हुए मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं को जन समुदाय तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। तदक्रम में ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के सफल संचालन हेतु प्रदेश की समस्त सवा तीन लाख प्रथम पंक्ति की कार्यकर्त्रियों यथा ए0एन0एम0, आँगनबाड़ी तथा आशाओं को सामूहिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

आप जानते हैं कि माँ एवं शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए कुपोषण से बचाव एवं समुचित पोषण अत्यन्त आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को देखभाल की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि कुपोषण की शुरुआत माँ के गर्भ से ही हो जाती है। विभिन्न शोध दर्शाते हैं कि बाल्यकाल में होने वाले लगभग 50 प्रतिशत कुपोषण का सम्बन्ध गर्भावस्था के दौरान मातृ स्वास्थ्य सम्बन्धी कारकों से जुड़ा होता है। यदि गर्भवती महिला की समय रहते सही जाँच हो जाये और उसमें कुपोषण व खतरे के लक्षणों का पता चल जाये तो बच्चे और माँ दोनों को स्वस्थ और सुपोषित रखा जा सकता है। इस रणनीति में स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ राज्य पोषण मिशन, आई0सी0डी0एस0 विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, पंचायती राज विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा समेकित रूप से कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश में लगभग 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में खून की कमी (एनीमिया) पायी जाती है, जो अत्यधिक मातृ मृत्यु दर का कारण भी है। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था के दौरान मुख्य जटिलताओं की समय से पहचान, इलाज व आवश्यकता होने पर सन्दर्भन अत्यन्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आवश्यक है। इसके लिए हर माह गाँव स्तर पर होने वाले ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों के दौरान गर्भवती महिलाओं के खून व पेशाब की जाँच, ब्लड प्रेशर की जाँच तथा गर्भ की जाँच होनी आवश्यक है, जिससे समय रहते जटिलताओं की पहचान हो सके व उनकी तथा गर्भस्थ शिशु की जान बचायी जा सके। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्व में भी विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं।

वर्ष 2013-2014 में यूनिसेफ द्वारा कराये गये रैपिड सर्वे ऑफ चिल्ड्रेन के आंकड़े (<http://wcd.nic.in/sites/default/files/state%20rsoc/pdf>) गर्भावस्था के दौरान की जाने वाली देखभाल के संदर्भ में निम्न तथ्य दर्शाते हैं :-

- (क) मात्र 64 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का ही पंजीकरण हो पाया।
- (ख) मात्र 28 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान 4 या 4 से अधिक जांचे हो पायीं।
- (ग) मात्र 7.6 प्रतिशत महिलाओं को 100 या 100 से अधिक आयरन की गोलियां प्राप्त हो पायीं।
- (घ) केवल 4.3 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं ने 100 या 100 से अधिक आयरन की गोलियां खायीं।
- (ङ.) केवल 2.7 प्रतिशत महिलाओं द्वारा समस्त प्रसव पूर्व सेवार्यें प्राप्त करायी जा सकीं।

माह सितम्बर में राज्य पोषण मिशन और आई0सी0डी0एस0 विभाग ने मिलकर वजन दिवस चलाते हुये 13 लाख अति कुपोषित बच्चों की पहचान की ताकि उनको बेहतर पोषण सुविधायें प्रदान की जा सकें। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग और राज्य पोषण मिशन द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण व गुणवत्तायुक्त सेवार्यें प्रदान करने के लिये दिनांक 27 जनवरी 2016 से 03 फरवरी 2016 तक मातृत्व सप्ताह का आयोजन किया जाना है।

1- मातृत्व सप्ताह के उद्देश्य

मातृत्व सप्ताह को आयोजित करने के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं-

- गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण बढ़ाना।
- सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की जांच करना और उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाये उपलब्ध कराना।
- जटिलता से ग्रसित महिलाओं की पहचान करना तथा प्राथमिकता के आधार पर उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं संदर्भित करना, जिससे उनका सतत् फालोअप एवं सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जा सके।
- सभी गर्भवती महिलाओं से सम्पर्क स्थापित कर संस्थागत प्रसव में वृद्धि लाना।
- ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- ए0एन0एम0 के क्षेत्र के केस लोड का आंकलन करना

एक ए0एन0एम के क्षेत्र में 7-8 गांव अथवा आशा क्षेत्र आते हैं। इन गांवों के लाभार्थियों को वह आंगनबाड़ी और आशा के सहयोग से प्रति माह अधिकतम 08 ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों के माध्यम से आच्छादित करती है। एक आशा के क्षेत्र में (लगभग 1000 जनसंख्या पर) एक वर्ष में अनुमानतः 25-30 महिलायें गर्भवती होती हैं जिनको चार सम्पर्क के माध्यम से सभी प्रसव पूर्व सेवायें प्रदान की जाती हैं। सामान्यतः गांव में गर्भ का पता तीन माह के पश्चात ही हो पाता है। अतः एक समय में एक आशा के क्षेत्र में 3-9 माह के मध्य गर्भ वाली लगभग 12-15 महिलायें मिलेंगी। इस प्रकार एक ए0एन0एम0 उपकेन्द्र क्षेत्र में अनुमानतः 96-120 गर्भवती महिलायें सेवाओं के लिये आयेंगी। मातृत्व सप्ताह का आयोजन मुख्यतः ए0एन0एम0 उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों में ए0एन0एम0 व आशा के सहयोग से किया जायेगा। इस हेतु गांव व उपकेन्द्र के केस लोड का सही आंकलन अत्यन्त आवश्यक है। इन गर्भवती महिलाओं को ही मातृत्व सप्ताह में आच्छादित किया जाना होगा एवं इनकी सूची मातृत्व सप्ताह से 7 दिन पूर्व आशा व आंगनबाड़ी द्वारा बना ली जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी महिलाओं का चिन्हांकन 20 जनवरी, 2015 तक पूर्ण हो जाये। गांव, उपकेन्द्र, ब्लॉक व जनपद स्तर पर अनुमानतः गर्भवती महिलाओं का केसलोड निम्नानुसार अपेक्षित है-

गाँव	उप केन्द्र	ब्लॉक में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर गर्भवती महिला की संख्या	जनपद	राज्य
12-15	96-120	1200-1500	कुल ब्लॉको के आधार पर	20-25 लाख

3- मातृत्व सप्ताह को आयोजित करने की रणनीति

- ✓ मातृत्व सप्ताह 27 जनवरी से 03 फरवरी 2016 तक चलाया जायेगा। "मातृत्व सप्ताह" के प्रत्येक दिन प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के स्थल/आंगनबाड़ी केन्द्र पर सभी गर्भवती महिलाओं की जांच की जायेगी। इस अभियान में सभी गर्भवती महिलाओं का सही चिन्हांकन करना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि कोई भी महिला छूट ना जाये।
- ✓ किन्ही अपरिहार्य कारणवश यदि कुछ महिलायें छूट जायें तो उन्हें आच्छादित करने हेतु दिनांक 04 फरवरी, 2016 को उपकेन्द्र पर एक अतिरिक्त दिवस का आयोजन करा लिया जाये। इसी दिन ए0एन0एम0 आशा और आंगनबाड़ी के सहयोग से मातृत्व सप्ताह की उपलब्धियों की रिपोर्ट संकलित करेगी।
- ✓ प्रत्येक दिवस पर हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी वाली महिलाओं की पहचान की जायेगी तथा दिनांक 05 फरवरी 2016 को उन्हें क्षेत्र की ब्लॉक चिकित्सा इकाइयों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

अथवा जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों पर हाई रिस्क क्लीनिक पर जाँच व उपचार हेतु सन्दर्भित किया जायेगा।

- ✓ मातृत्व सप्ताह के दसवें दिन दिनांक-05 फरवरी 2016 को प्रत्येक ब्लॉक चिकित्सा इकाइयों एवं जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों पर चिन्हित हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी वाली महिलाओं (High risk pregnant mothers-HRP) की क्लीनिक संचालित की जायेगी जिसमें सभी 8 दिनों में उस क्षेत्र की हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी वाली महिलाओं को उपचार दिया जायेगा।

4- मातृत्व सप्ताह के पूर्व की तैयारी-

- ✓ दिनांक 11 जनवरी को सभी जिलाधिकारी अपने जनपद के ब्लॉक स्तर तक के सभी सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मातृत्व सप्ताह के आयोजन हेतु बैठक कर रणनीति तैयार कर लें।
- ✓ दिनांक 15 जनवरी को सभी ब्लॉकों पर ए0एन0एम0, आशा व आंगनबाड़ी का उन्मुखीकरण कर टैलीशीट उपलब्ध करा दी जाये। यह टैलीशीट दिनांक 20 जनवरी तक भरकर ए0एन0एम0 के माध्यम से ब्लॉक तक आ जानी चाहिए।
- ✓ समस्त अभियान को संचालित करने हेतु जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जायेगी।
- ✓ सभी गाँवों में आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों मातृत्व सप्ताह के 10 दिन पूर्व आपसी सहयोग से टैली शीट में सभी गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण पूर्ण करेंगी व उन्हें उनके गाँवों में होने वाले मातृत्व सप्ताह के निर्धारित दिवस पर साथ चलने के विषय में जानकारी देंगी। आशा गर्भवती महिलाओं की सूची को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ साझा करेगी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अपने सर्वे के आंकड़ों से गर्भवती महिलाओं के नाम का मिलान करते हुए दोनों अपनी सूची अधुनान्त करेंगी।
- ✓ स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु क्रियाशील वजन मशीनों की उपलब्धता, खून की हीमोग्लोबिन जाँच, पेशाब की शुगर व एल्ब्यूमिन जांच हेतु उपकरणों की व्यवस्था, ब्लड प्रेशर उपकरण की व्यवस्था, जांच की गतिविधि से सम्बन्धित विभिन्न प्रारूपों की प्रिंटिंग एवं उसकी समस्त स्तरों पर उपलब्धता सुनिश्चित कराई जायेगी। साथ ही मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0कार्ड) तथा सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका पर्याप्त संख्या में मुद्रित करा कर उपलब्ध करा दी जायेगी।
- ✓ इसके साथ-साथ निर्धारित दिवस पर सत्र स्थल पर गर्भवती माताओं की समस्त जांचों हेतु बैठाने, लिटाने एवं निजता सम्बन्धी सभी व्यवस्थायें

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- सुनिश्चित करना भी स्वास्थ्य विभाग का उत्तरदायित्व होगा। इस कार्य में आई0सी0डी0एस0 व पंचायती राज के विभाग से पूर्ण सहयोग लिया जायेगा।
- ✓ स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रवार/उपकेन्द्र वार/विकास खण्ड वार चिन्हीकृत की गयी महिलाओं की पूर्ण संकलित संख्या को निर्धारित प्रारूप पर जनपद स्तर/जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - ✓ नोडल अधिकारी पर्यवेक्षकों व ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षकों के चिन्हांकन एवं नियुक्ति पत्र निर्गमन आदि की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।
 - ✓ ए0एन0एम0, ग्राम प्रधान, नोडल अधिकारी पर्यवेक्षकों व ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षकों, तथा बाल विकास विभाग से इतर अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण मातृत्व सप्ताह के पूर्व जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
 - ✓ जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु मातृत्व सप्ताह के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता सम्बन्धी कार्यवाही-आई0सी0डी0एस0, पंचायतीराज एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आदि विभागों के माध्यम से करायी जायेगी।

5- **मातृत्व सप्ताह का दिवसवार/उपकेन्द्रवार माइक्रोप्लान बनाना-**

- ✓ प्रत्येक माह ए0एन0एम0 अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों में अधिकतम 8 सत्रों का आयोजन प्रत्येक बुधवार और शनिवार को नियत स्थल पर करती है। इसी प्रकार मातृत्व सप्ताह के 8 दिन ए0एन0एम0 के पूर्व निर्धारित माइक्रोप्लान के अनुसार निर्धारित सत्र स्थल पर ही लगातार मनाये जायेंगे।
- ✓ मातृत्व सप्ताह (27 जनवरी से 03 फरवरी 2016) के दौरान पड़ने वाले बुधवार एवं शनिवार को सत्र ए0एन0एम0 द्वारा वी0एच0एन0डी0 माइक्रोप्लान के अनुसार पूर्व निर्धारित गांवों में मनाये जायेगे।
- ✓ शेष दिवसों को मातृत्व सप्ताह के माइक्रोप्लान के अनुसार क्रमवार चिन्हित गांवों में मनाया जायेगा। इन 8 दिनों में केवल मातृ स्वास्थ्य व पोषण सेवायें दी जायेगी। इस प्रकार सभी उपकेन्द्रों की एक कार्ययोजना बनायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

मातृत्व सप्ताह के 08 दिवसों का दिवसवार माइक्रोप्लान (27 जनवरी से 05 फरवरी 2016)

बुधवार 27.01.2016	वृहस्पतिवार 28.01.2016	शुक्रवार 29.01.2016	शनिवार 30.01.2016	रविवार 31.01.2016	सोमवार 01.02.2016	मंगलवार 02.02.2016	बुधवार 03.02.2016	वृहस्पतिवार 04.02.2016	शुक्रवार 05.02.2016
पहला दिन	दूसरा दिन	तीसरा दिन	चौथा दिन	पांचवा दिन	छठा दिन	सातवां दिन	आठवां दिन	नौवां दिन	दसवां दिन
वी0एच0एन0डी0 माइक्रोप्लान के चतुर्थ बुधवार वाला गांव	वी0एच0एन0डी0 माइक्रोप्लान के पहला शनिवार वाला गांव	वी0एच0एन0डी0 माइक्रोप्लान के दूसरा बुधवार वाला गांव	वी0एच0एन0डी0 माइक्रोप्लान के दूसरा शनिवार वाला गांव	वी0एच0एन0डी0 माइक्रोप्लान के तृतीय बुधवार वाला गांव	वी0एच0एन0डी0 माइक्रोप्लान के तृतीय शनिवार वाला गांव	वी0एच0एन0डी0 माइक्रोप्लान के चतुर्थ शनिवार वाला गांव	वी0एच0एन0डी0 माइक्रोप्लान के चतुर्थ बुधवार वाला गांव	मातृत्व सप्ताह की उपलब्धियों का संकलन	प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर हाईरिस्क प्रेगनेन्सी दिवस का आयोजन

6- मातृत्व सप्ताह के दिवसों की तैयारी-

- ✓ प्रत्येक गांव में मातृत्व सप्ताह हेतु चयनित दिन पर गर्भवती महिलाओं की पूर्ण जांच की जायेगी तथा जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं (High risk pregnant mothers-HRP) की पहचान करते हुये उन्हें दसवें दिन (05 फरवरी 2016) को ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ANC-HRP क्लीनिक पर जाने की सलाह दी जायेगी। High risk pregnant mothers-HRP की सुलभ पहचान हेतु सभी जनपदों द्वारा **लाल बिन्दी एवं HRP मोहर/सील** का उपयोग किया जायेगा और इसे मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड के ऊपर चिपकाया एवं लगाया जायेगा, जिससे कि सामुदायिक चिकित्सा इकाई पर पहुँचने पर उसको प्राथमिकता मिल सके।
- ✓ इस प्रकार चिन्हित सभी जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं (High risk pregnant mothers-HRP) को ब्लॉक चिकित्सा इकाइयों एवं जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों पर लेकर आने का उत्तरदायित्व आशाओं का होगा।
- ✓ ब्लॉक चिकित्सा इकाइयों एवं जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों पर दिनांक 05 फरवरी, 2016 को High risk pregnant mothers (HRP) क्लीनिक संचालित करना, ब्लॉक प्रभारियों का उत्तरदायित्व होगा।
- ✓ दिनांक 05 फरवरी, 2016 को सभी ए0एन0एम0 के गांव में चिन्हित High risk pregnant mothers (HRP) को ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों पर बुलाकर उनकी चिकित्सकों द्वारा जांच की जायेगी। इस कार्य में सहयोग हेतु सभी ए0एन0एम0 उस दिन अपने ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालय पर उपस्थित रहेंगी।
- ✓ मातृत्व सप्ताह के दौरान यदि कोई महिला बहुत गम्भीर अवस्था में मिलती है तो उसका 102/108 एम्बुलेन्स के माध्यम से तुरन्त सन्दर्भन किया जायेगा। गांवों में मातृत्व सप्ताह की सूचना स्वास्थ्य व आई0सी0डी0एस0 विभाग के कर्मियों द्वारा प्रचारित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

✓ मातृत्व सप्ताह के आयोजन हेतु समस्त प्रचार-प्रसार के कार्य जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किये जायेंगे। सभी प्रधानों को उनके क्षेत्रों में 08 दिवसों में आच्छादित किये जाने वाले गांवों की सूची तहसील दिवस पर उपलब्ध करा दी जायेगी, जिससे वे ग्रामवासियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त करने हेतु कार्यवाही कर सकें।

✓ मातृत्व दिवस के दिन सभी महिलाओं की निम्न जांचें की जायेंगी:-

- वजन
- हीमोग्लोबिन की जाँच
- यूरीस्टिक्स द्वारा पेशाब में एल्ब्यूमिन व शुगर की जांच
- सभी गर्भवती महिलाओं की पेट (गर्भ) की जाँच
- सभी महिलाओं के मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड व आर0सी0एच0 रजिस्टर में सूचना भरी जायेगी।
- जिन महिलाओं में किसी खतरे का चिन्ह पाया जाये या फिर गंभीर एनीमिया से ग्रसित हों उनके कार्ड पर लाल बिन्दी एवं HRP मोहर/सील लगाते हुये उनको पूर्व निर्धारित तिथि पर (दसवें दिन) ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों पर संदर्भित किया जायेगा।
- HRP (जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं) का नाम अलग से चिन्हांकित किया जायेगा ताकि बाद में इनकी सूचना उपकेन्द्रवार जनपद पर भेजी जा सके।
- एनीमिक गर्भवती महिलाओं की सूची सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रखी जायेगी और इन सभी महिलाओं में इंजेक्शन आयरन सुक्रोज और Blood Transfusion की व्यवस्था जिला महिला चिकित्सालय/चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर करायी जायेगी।

7- "मातृत्व सप्ताह" का आयोजन एक वृहद कार्य है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ आई0सी0डी0एस0 विभाग व पंचायती राज विभाग की प्रमुख भूमिका है। यह कार्य इतना विशाल है कि इसमें पूर्ण सफलता हेतु सरकार के सभी विभागों का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। इस अभियान को सफल बनाने व प्रचार प्रसार करने हेतु ग्राम प्रधान, ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के फील्ड स्तरीय कर्मियों को हर ग्राम सभा स्तर पर नामित करते हुये उन्हें उनके गांव में होने वाले मातृत्व सप्ताह के दिन के बारे में पूर्व से जानकारी देनी होगी ताकि वह पहले से सम्बन्धित दिवस पर सहयोग देने के लिये तैयार रहें।

8- मातृत्व सप्ताह के दौरान आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा निम्न सहयोग दिया जायेगा-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

8.1 ग्राम स्तर पर

- ✓ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आशा द्वारा बनायी गई गर्भवती महिलाओं की सूची को अपने सर्वे की सूची से मिलान करते हुये उसे अधुनान्त करेगी।
- ✓ मातृत्व दिवस के दिन वह गर्भवती महिलाओं को स्थल तक लाने में सहायता देगी तथा सभी महिलाओं को उस सप्ताह मिलने वाले अनुपूरक पोषाहार का वितरण करेगी।
- ✓ गर्भवती महिलाओं के परिवारों को मातृत्व दिवस के पूर्व जागरूक करेगी।

8.2 ब्लॉक स्तर पर

- ✓ प्रत्येक ब्लॉक में मुख्य सेविका को ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की टीम के साथ मातृत्व सप्ताह के आठों दिन अनुश्रवण हेतु सम्बद्ध किया जायेगा।
- ✓ आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी के निर्देशन में गाड़ी आदि की व्यवस्था की जायेगी।
- ✓ बाल विकास परियोजना अधिकारी को भी अनुश्रवण हेतु जनपदीय नोडल अधिकारी के साथ जोड़ा जा सकता है।

8.3 जनपद स्तर पर

- ✓ जनपद स्तरीय प्रशिक्षण में स्वास्थ्य विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- ✓ ब्लॉक स्तरीय माइक्रोप्लान व अनुश्रवण प्लान बनाने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

9- मातृत्व सप्ताह का अनुश्रवण- मातृत्व सप्ताह का अनुश्रवण दो स्तर से किया जायेगा। विभागीय अनुश्रवण स्वास्थ्य विभाग द्वारा आई0सी0डी0एस0 के सहयोग से किया जायेगा तथा बाह्य अनुश्रवण जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में नामित दो नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

9.1 स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में 5 मेडिकल आफिसर पर्यवेक्षक के रूप में नामित किये जायेंगे जिनमें 4 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के मेडिकल ऑफिसर हो सकते हैं और 1 अन्य ब्लॉक/अतिरिक्त/नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से हो सकते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा ब्लॉक के 25 उपकेन्द्रों को 5 क्लस्टरों में विभाजित किया जायेगा। प्रत्येक क्लस्टर पर एक मेडिकल ऑफिसर को पर्यवेक्षक बनाते हुये उसे उपकेन्द्र की दिवसवार कार्ययोजना दे दी जायेगी। हर पर्यवेक्षक मेडिकल ऑफिसर के साथ टीम बनाते हुये एक मुख्य सेविका को जोड़ा जायेगा ताकि दोनों विभागों का गतिविधि में योगदान रहे और अनुश्रवण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इस टीम द्वारा मातृत्व सप्ताह के आठों दिन अलग-अलग स्थलों का अनुश्रवण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9.2 प्रत्येक ब्लॉक पर जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय दो नोडल अधिकारियों को नामित किया जायेगा। प्रत्येक दिन एक नोडल अधिकारी द्वारा ब्लॉक में से किन्हीं 5 स्थलों का अनुश्रवण करते हुये उनके द्वारा सूचना जिलाधिकारी को सौंपी जायेगी।

10- उपरोक्तानुसार जनपद में मातृत्व सप्ताह के पश्चात प्रत्येक ब्लॉक में चिकित्साप्रभारी द्वारा कुल गर्भवती महिलाओं जिनकी जांच की गई तथा कुल HRP महिलाओं की सूची को संकलित करते हुये सूचना जनपद स्तर पर प्रेषित की जायेगी। प्रत्येक उपकेन्द्र पर ए0एन0एम0 द्वारा गर्भवती महिलाओं की समस्त सूचना आर0सी0एच0 रजिस्टर में अंकित की जायेगी। इस रजिस्टर में दर्ज गर्भवती महिलाओं की जांच प्रत्येक माह करते हुये उसे अद्यावधिक रखा जायेगा और उनको स्वस्थ व पोषित रखने का प्रयास जारी रखा जायेगा। आगामी माहों में नयी गर्भवती महिलाओं की सूचना को भी इसी रजिस्टर में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-1/2016/1674(1)/पांच-9-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
6. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
8. राज्य प्रतिनिधि, यूनिसेफ, उ0प्र0।
9. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

I ɔXud&1

ekrRo I lrg dsmRrjnk; Ro fu/Wj .k gsrqoLr' fn'Wfunzk

xfrfof/k	nkf; Ro
<p>ekrRo I lrg ds iWZ dh xfrfof/k; ka VSyh 'kV&Wk: i 1½ VSyh 'khV dks NiokukA bl VSyh 'khV ea ekr' tkp l adkh l eLr fooj.k l ɔXu gskA</p> <ul style="list-style-type: none"> I Hkh xkpa ea vk'kk ekrRo I lrg ds 10 fnu iWZ VSyh 'kV&Wk: Ik 1½ I Hkh xHkZrh efgykva dk fplghdj.k i wkZ djach o mlga muds xkpa ea gks okys ekrRo I lrg ds fu/Wj r fnol ij l kFk pyus ds fo"K; ea tkudkj naxh A vk'kk xHkZrh efgykva dh l pph dks vkacuckMh dk; Zl=hZ ds l kFk CkA/sch rFkk dk; Zl=hZ Hkh vi us l oZ ds vkadMh l s xHkZrh efgykva ds uke dk feyku djrs gq xHkZrh efgykva dh l pph dk l R; ki u djschA VSyh 'khV dh rhu ifr; ka Hkj tk; schA , d l pph CykMh dks nh tk; sch rFkk nks l fp; ka ekrRo fnol ij mi; kx gsrq j [kh tk; schA ekrRo fnol ij nks ifr; ka ea %dkcZ yxkdj½ l puk vdr dh tk; schA ey ifr dhnz ij jgch rFkk dkcZ dkh , 0, u0, e0 ds ek; e l s CykMh dks miyC/k dj; h tk; schA i R; d VSyh 'khV ea MCTS u0 Hkh Mkyk tkuk vko'; d gA bl gsrq i R; d VSyh 'khV ea dkye u0 2 fn; k x; k gA tks efgyk, a iWZ l s i ahd' gks mudk MCTS u0 vk'kk }kjk igys l s Mky fn; k tk; schA u; h xHkZrh efgykva dk MCTS u0 ekrRo I lrg ds l k'pkr dEl; Wj ea Mkyk tk; schA i R; d xk ea vk'kk@vkacuckMh dk; Zl=hZ }kjk VSyh 'khV ea dkye 1 l s 6 rd igys l s Hkj fy; k tk; sk rFkk dy fplghdr efgykva dh l ; k dk dy ; kx 'khV ds vlr ea dj fn; k tk; schA 1&6 dkye rd Hkj VSyh 'khV dks vk'kk }kjk, 0, u0, e0 ds l kFk l k>k fd; k tk; sk ft l s fd ykMh fLVDI vkfn fd 0; oLFk igys l s dh tk l ds <ul style="list-style-type: none"> VSyh 'khV ea dkye 7&20 ekrRo fnol ds fnu , 0, u0, e0 }kjk Hjs tk; schA <p>ekrRo I lrg dk ekbMkyu cuk&Wk: i 2½</p>	<p>e; fpdfRI k vf/kdkjh@CykMh fpdfRI k i Hkj</p> <p>vk'kk@vkacuckMh@, 0, u0, e</p> <p>vk'kk@, 0, u0, e</p> <p>, 0, u0, e0@CykMh fpdfRI k i Hkj@vk'kk</p> <p>CykMh fpdfRI k i Hkj @, 0, u0, e0@vk'kk@vkacuckMh dk; Zl=hZ</p> <p>, 0, u0, e0@vk'kk</p> <p>, 0, u0, e0@vk'kk</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

<ul style="list-style-type: none"> • , 0, u0, e0}vk'kk }kjk nh xbz VSyh 'khV dh l puk dk iz;ksx djrs gq s midbñz dh 8 fnol dh ;kstuk cuk; schA%k ik 2½ • iR; d mi dñz ds vlr xz 7&8 xkp vkrs gA ekrRo l lrg ds gj fnu , d xkp ea ekrRo fnol dk vk; kst u gskA bl izdkj ; fn Cykñd ea 25 mi dñz gA rks vkB fnu ea dty 200 l =ka dk vk; ktu Cykñd ea fd; k tk; skA • tuinka }kjk l = LFky dk fu/kkZ.k djrs le; ; g /; ku nuk gsk fd LFky xkp ds chp&chp gsk rfd l Hkh xHkZrh efgyk, a l ok yus vkl kuh l s vk l dA • iR; d mi dñz dh , 0, u0, e0 }kjk vius {ks= ds l Hkh xkp dh l puk , df=r djrs gq s pkj ifr; ka ea midbñz lyku%k: ik 2½ cuk; k tk; skA , d ifr , 0, u0, e0 ds ik l jgsh rFkk rhu ifr; ka Cykñd dk; kZ; Hksth tk; schA Cykñd Lrj l s , d ifr Cykñd dk; kZ; eA , d ifr Cykñd esMdy vkfQI j lk; bskd gsrj , d ifr ftyk Lrjh; dUVksy : e o , d ifr Cykñd ij j[kus ds fy; s mi ; kx ea yk; h tk; schA midbñz ekbØkyku ea , 0, u0, e0 ds vkBka l = fnol ds dñ ykM] l = LFky] vk'kk vkakuckMh dk; d=hZ dk uke l Ecl/kh tkudkjH gskhA l Hkh dk; dñkZ/ka ds ekbØky u0 dh tkudkjH Hkh ml ea gskh rfd Cykñd esMdy vkfQI j lk; bskd o ftyk lk; bskd mul s l EidZ dj l dA • ekbØkyku dh , d ifr , 0, u0, e0 }kjk j[kh tk; sch o nñ jh l kepF; d fpdRI k bdkbZ@Cykñd fpdRI k bdkbZ ea Hksth tk; schA • bl izdkj , d Cykñd ij iR; d 25 mi dñka ds 25 ekbØkyku gskA <p>Cykñd Lrjh; fnol okj l = ekbØkyku%k: ik: i 4½</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 fnu ea l s gj fnu iR; d mi dñz ds fd l h , d xkp ea ekbØkyku ds vuq kj ekrRo fnol dk vk; kst u gsk jgk gskA bl izdkj gj fnu de l s de 25 l =ka dk vk; kst u gsk jgk gskA iR; d fnol dk ik: i 4 ij , d Cykñd Lrjh; l = lyku gskA bl izdkj ij s ekrRo 	<p>Cykñd fpdRI k i Hkkjh@ , 0, u0, e0@i zku</p> <p>eQ; fpdRI k vf/kdkjh @Cykñd fpdRI k i Hkkjh</p>
--	--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

<p>Lkirkg ds nksku gj Cyknt ij 8 fnu ds de ; s de 8 ik: i 4 Hkjs tk; sA</p> <ul style="list-style-type: none"> • fnol okj l = dh l puk rFk ml fnu vk; kstr gkus okys l = lyku ea fplgkidr xHkbrh ¼k: lk 1 o ik: i 2 ; kfu fd midbnz dh dk; l ; kstuk l s yrs gq ½ efgykva dh l puk Cyknt Lrj ij ik: i 4 ea pkj ifr; ka ea r\$ kj dh tk; sA , d ifr Cyknt ij jgsxh ni jh Cyknt eSMdy vntQI j lk; bskd dks nh tk; sA , d ifr tuin Lrj ij dUVtsy : e l s l k > k dh tk; sA rFk , d ifrtuin ea dUVtsy : e l s ukMy lk; bskdka ds fy; scka/h tk; sA • iR; d Cyknt ds l Hk eSMdy lk; bskdka dks 8 fnol ka dks vk; kstr gkus okys l = ka dh l puk ik: lk 4 ds ek/; e l snh tk; sA <p><u>dkfeZl 0; oLFk</u></p> <p>Cyknt Lrj ij 5 eSMdy vntQI j o tuin Lrj l s ifr Cyknt ij 2 ukMy vf/kdkjh lk; bskd ds : lk ea ukfer fd; s tk; sA iR; d vf/kdkjh dks , d fu; qDr i = fn; k tk; sA ¼k: i 6½</p> <p><u>Cyknt Lrj ds vf/kdkj; ka }kjk dh tkusokyh lk; bsk.k ; kstuk</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • iR; d Cyknt ea vupkur% 25&30 midbnz gkus vkj mruh gh , 0, u0, e0 gkxhA • ekrRo lirkg ds fnu iR; d Cyknt ij 25&30 l = vk; kstr fd; s tk jsgkxhA • gj Cyknt {k= ea 5 Cyknt eSMdy vntQI j lk; bskd dh Vhe cuk; h tk; sA buea l s 4 MKVj jk"Vh; cky LokLF; dk; Øe dh Vhe dh o vl; , d@nks MKVj vk; tk ds gkxhA • 5 midbn tkfd Hkkskfyd fLFfr ds fgl kc l s , d l kFk vk jgs gla muds DyLVj cuk fn; s tk; sA bl izdkj 25 midbnz ij 5 DyLVj gkxh ¼k: lk 3½ gj DyLVj ea gj fnu 5 l = pyk; s tk jsgkxhA bl izdkj iR; d DyLVj ea 8 fnuka ea dy 40 l = ka dk vk; kstufd; k tk jgk gkxhA DyLVj ; kstuk dh , d ifr Cyknt ij jgsxh ni jh Cyknt eSMdy vntQI j lk; bskd ds iki rFk nks ifr; k; tuin Lrj ij dUVtsy : e l s l k > k dh tk; sA tks bl dks tuin Lrjh; ukMy lk; bskdka ds l kFk cka/sA • gj lk; bskd ny ea , d Cyknt eSMdy vntQI j lk; bskd rFk , d vkbDI hOmho, l 0 dh eq; l fodk dh fu; qDr dh tk; sA 	<p>ftykf/kdkjh eq; fodkl vf/kdkjh</p> <p>MhOi hOvkj Ovks@vf/k'kk l h vf/kdkjh Vkm , fj; k o uxj fuxe@vk; qDr uxj fuxe</p> <p>ftykf/kdkjh@eq; fodkl vf/kdkjh</p> <p>eq; fpdfRI k vf/kdkjh Cykd fpdfRI k iHkjh@ ftyk dk; Øe vf/kdkjh@ cky fodkl i fj; kstuk vf/kdkjh</p>
--	--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

<ul style="list-style-type: none"> • iR; d lk; bskd ny dks vkoiVr {k= dh l puk ik: i 3 ij Hkj tk; schA • gj Cykbl eSMdy vkIQI j lk; bskd dks , d DyLVj ns fn; k tk; skA l kFk eafuEu l ayXud fn; s tk; ks ✓ 1 fu; fDr i=$\frac{1}{4}$k: i$\frac{6}{2}$ ✓ DyLVj dk; z kst uk $\frac{1}{4}$ ik: i 3$\frac{1}{2}$ ✓ 5 mi dlnk dh dk; z kst uk $\frac{1}{4}$ ik: i$\frac{2}{2}$ gj mi dlnz dh , d ifr vls ✓ 8 Cykbl Lrjh; fnol okj l = ekbdkyu $\frac{1}{4}$ ik: i$\frac{4}{2}$ <p>iR; d fnu gj Cykbl eSMdy vkIQI j lk; bskd e[; l fodk ds l kFk vi us DyLVj ds i kps mi dlnz ds , d& , d xkoka ea ckjh &ckjh l s tkrsg s l Hkh mi dlnz ij , d & , d l =ka dk vuqo.k djxkA l = ns[kus ds lk'pkr og VSyh 'khV ea vi uk uke fy[krs gq s glrk{kj Hkh djxkA bl idkj iR; d fnu 5 , 0, u0, e0 ds ekrRofnol dk vuqo.k djrs gq s 8 fnu ea iR; d eSMdy vkIQI j lk; bskd vls e[; l fodk dh Vhe }kjk DyLVj ds vlr'kr gkus okys l Hkh 40 l =ka $\frac{1}{4}$kr@ ifr'kr$\frac{1}{2}$ dk vuqo.k fd; k tk l dsxkA</p> <p>Tuin Lrj dsvf/kdkj; ka }kjk fd; k tkusokyk lk; bsk.k</p> <ul style="list-style-type: none"> • iR; d Cykbl ea nks ukMy vf/kdkj; ka dks ukfer fd; k tk; skA ; g ukMy vf/kdkjh xkn fy; s xkoka ds vf/kdkjh Hkh gks l drs gA ukMy vf/kdkjh cukus dk nkf; Ro ftykf/kdkjh@e[; fodkl vf/kdkjh dk gskkA • ukMy vf/kdkj; ka dks fu; fDr i=] rFkk mi dlnz dk; z kst uk $\frac{1}{4}$ ik: i 2$\frac{1}{2}$ vls fnol okj l = lyku o d[ykbl $\frac{1}{4}$ ik: i$\frac{4}{2}$ dh 'khV nh tk; schA • , d fnu Cykbl ea , d gh ukMy vf/kdkjh tk; skA bl idkj ; fn Cykbl ea nks ukMy vf/kdkjh gA rks iR; d vf/kdkjh dsekrRo l lrg ds nkjku de l s de 4 fnu dk Hke.k l e; nsuk gkxkA • Cykbl ea xBrfd; s x; s DyLVj dh l pthkh ukMy vf/kdkjh dks ns nh tk; schA • iR; d fnu , d ukMy vf/kdkjh Cykbl ea ik: i4 dk iz; ks djrs gq s Hke.k djxkA gj fnu fn; s x; s DyLVjka ea l sfdlgh 5 l =ka dk vuqo.k djxkA • bl idkj 8 fnu ea 40 l = $\frac{1}{20}$ ifr'kr$\frac{1}{2}$ l =ka dk vuqo.k tuin ds ukMy vf/kdkjh }kjk fd; k tk; skA • l Hkh l puk vkbDI homho, l 0 foHkx dh ftyk dk; b[vf/kdkjh o Cykbl Lrj ij cky fodkl ifj; kst uk vf/kdkjh ds l kFk ck/h tk; sch ftl l s fd og ekrRo fnol ka ds nkjku vi fkr l g; ks ns l ds vls 	<p>Cykbl eSMdy vkIQI j lk; bskd@e[; l fodk</p> <p>ft ykf/kdkjh@e[; fodkl vf/kdkjh@e[; fpdfRI k vf/kdkjh@</p> <p>e[; fpdfRI k vf/kdkjh @Cykbl fpdfRI k iHkjh@ ftyk dk; b[vf/kdkjh</p>
--	---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

<p>vkxuckfM; ka dks l g; kx dsfy; sfun'kr dj l dA</p> <ul style="list-style-type: none"> • ftykf/kdkjh }kjk tuin Lrj ij e[; fpdfRI kf/kdkjh ds l g; kx l s e[; fodkl vf/kdkjh ds dk; k; ea dUVfy : e dh 0; oLFk dh tk; schA bl dUVfy : e ea ijs l lrg ds n[ku , d , d ij; kst uk fun'kd DRDA vFkok ftyk fodkl vf/kdkjhds r[kr fd; k tk; s ftudh l g; rk ds fy; s , d LokLF; vf/kdkjh dh r[krh e[; fpdfRI k vf/kdkjh }kjk dh tk; sch A bl vf/kdkjh dk e[; dk; Z Cykbl Lrj ij l i'kfnr fd; s tk jgs dk; k dh tkudkjh j [krs gq s mudh l eL; kvka dk l ek/kku djuk gkskA <p>ipkj i l kj</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cykbl Lrjh; , 0, u0, e0] vk'kk o vkxuckMh dk; Zf=; ka }kjk i'kkgkj forj.k ds fnu ; k fQj l kepkf; d cBdkadsn[ku fd; k tk; skA • EkkrRo l lrg ds cjs ea LFkkuh; Lrj ij l kepkf; d tkx#drk gq iz kl djuk VMxh , oa ykmM Lihdj vkfn ds ek;/ e l SA izkku@oh0, p0, l 0, u0l h0@i'k'kh dk l g; kx Hkh i'kr fd; k tk; A • l Hkh izkkuka dks muds {ks= ea 08 fnol ka ea vkPNkfnr fd; s tkus okys xpkka dh l pph rglhy fnol ij miyC/k djkh nh tk; sch ftl l s os xkeokfl ; ka l s iwZ l g; kx i'kr djus gq dk; Zkgh dj l dA <p>if'k{k.k</p> <ul style="list-style-type: none"> • tuin Lrjh; & Cykbl ukMy vf/kdkfj; ka dks mudh ftEenkfj; ka l s voxr djuk • Cykbl Lrjh; & jk'Vh; cky LokLF; dk; De ds MkDVj o vk; k ds MkDVj dks mudh ftEenkfj; ka l s voxr djuk • LokLF; foHkx }kjk djkh; s tk jgs Cykbl Lrj ij l Hkh , 0, u0, e0 dk oh0, p0, u0Mh0 if'k{k.k ki wkZ djkh fy; k tk; A • lhpj; rh jkt foHkx l s uofuok'pr xke izkkuka dks Hkh , d fnol h; LokLF; o i'k{k.k fo'k; ka ij if'k{k.k fn; k tk; skA bl dk; Z dks ipj; rh jkt vf/kdkjh }kjk e[; 	<p>ftykf/kdkjh@e[; fodkl vf/kdkjh@e[; fpdfRI k vf/kdkjh@ Cykbl fpdfRI k i'k'kh</p> <p>ftykf/kdkjh@e[; fodkl vf/kdkjh@e[; fpdfRI k vf/kdkjh@Cykbl fpdfRI k i'k'kh@ipk; rh jkt</p> <p>ftykf/kdkjh@ e[; fpdfRI k vf/kdkjh@Cykbl fpdfRI k i'k'kh@ ftyk dk; Z vf/kdkjh@ipk; rh jkt vf/kdjh</p>
---	---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

fpfdRI k vf/kdkjh o ftyk dk; Zde vf/kdkjh ds
l g; kx l s l a kknr fd; k tk; skA if'k{k.k l fuf'pr
djus dk mRrjnkf; Ro ftykf/kdkjh dk gksckA

yktfLVDLk

mi dhnz okj l f; k dks Cykd Lrj ij tkMrs gq Cykd ds
ykm dk vkduy fd; k tk; skA ds ykm ds vk/kkj ij
yktfLVd dh 0; oLFkk dh tk; sh vkj ml dks mi dhnz okj
forfjr fd; k tk; skA

ekrRo l Irigels vk; kstu ea fuEu yktfLVDI dh 0; oLFkk
LokLF; foHkkx dks imZ l s l fuf'pr djuh gksch

- ghekkysou fLV'i yBl V ds l kFk
- ; jhuVfLVak fLVl
- CyM i tkj ; U=
- ekr' f'k'kq l g {kk dkmZ
- otu e'khu
- vk; ju Okfyd , fl M dh xkfy; ka
- l Q enjgM cpys
- i xub l h fdV
- QhVkt dks @LVFkk dks
- Yky fclnh [krjs l sxfl r efgyvkla dsfy; s
- i skk , df=r djus dsfy; slykLVd fMLi kstfcy di
- foHkklu ik: i ka dks Ni okuk rFkk forj .ka

Cykd esMdy MkDVj o ukMy vf/kdkfj; ka ds i kl de l s de
nks vfrfjDr Cykd Lrjh; otu e'khu] chO i hO e'khu] vk; ju
dh xkfy; ka o , eOl hoi hO dkmZ dh dN vfrfjDr l kexh gksch
pkfg; A

oigu dh 0; oLFk

iR; d Cykd ea ifrfnu de l de 6 okguka dh vko'; drk
gkschA 5 esMdy vkfQl j dsfy; srFkk 1 tiun Lrjh; ukMy
vf/kdkjh dsfy; A

ftykf/kdkjh@e[; fodkl
vf/kdkjh@e[; fpfdRI k
vf/kdjh @CyMl fpfdRI k
i kdkjh@ , 0, u0, e

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

ekrRo fnol ds nlgku dh xrfof/k; la

- ekrRo fnol ds ,d fnu i nZ vk'kk vkxuckMh dk; Zl=hZ ds l kFk feydj l Hkh xHkZrh efgykvka dks l fpr djschA
- ekrRo fnol ds fnu vk'kk vkxuckMh dk; Zl=hZ vkj l gkf; dk ds l kFk feydj VHND LFky dh r\$ kjh djschA , 0, u0, e l s vi\$kr gksk fd og ikr% 09 cts igpdj l Hkh 0; oLFkk l fuf'pr dj yA
- ekrRo fnol dsfnu deokj fd; s tkus okys dk; Z fuEu g&
 - ✓ LFky dh r\$ kjh
 - ✓ irh{kk djus dk LFkk o pVkbZ
 - ✓ mi dj.k] Vhds o jftLVj j[kus ds fy; sest
 - ✓ LokLF; dk; Zf=; ka rFkk xHkZrh efgykvka ds fy; s dq hZ
 - ✓ xHkZrh efgykvka ds fy; s tkp dh r[r@pkji kbZ
 - ✓ , dkur ea tkp djus ds fy; s inkZ@pnaj
 - ✓ gkFk /kkus; 'kk\$ky; rFkk LoPN is ty dh 0; oLFkk
- , 0, u0, e0 fu/kkZjr LFky ij ikr% 9 cts rd igp tk; schA vk'kk vkj vkxuckMh xHkZrh efgyk dks LFky rd yk; schA ftruh Hkh efgyk; a LFky ij vk; schA mudh fuEu tkp dh tk; sch&
 - ✓ i l o i n Z t k p
 - ✓ o t u
 - ✓ [k u] v k j i s k k c d h t k p
 - ✓ j D r p k i d h t k p
 - ✓ l H k h e f g y k v k a d k e k r ' f ' k ' k q l j { k k d k M Z o v k j O l h O , p O j f t L V j H k j k t k ; s k A t k s e f g y k ; a u ; h x H k Z r h g a m u d k s u ; k d k M Z n r s g q s i a t h d j . k f d ; k t k ; s k A
 - ✓ t k s e f g y k , a f d l h [k r j s ; k f Q j x H k j , u h f e ; k l s x f l r g a m u d s d k M Z i j y k f c l n h , o a H R P e k s j @ l h y y x k r s g q s 05 Qjojh ds fnu l k e n k f ; d L o k L F ; d b n z i j i g p u s d s f y ; s l a n f l k r f d ; k t k ; s k A H R P e f g y k v k a d k u k e v y x l s f p l u g k a d r f d ; k t k ; s k r k f d c k n e a b u d h l p u k m i d b n o k j t u i n i j H k s t h t k l d A
 - ✓ l H k h e f g y k v k a d h f p d R L k h ; t k u d k j h V S y h ' k h V d s d k w y e 7 & 2 0 r d e a H k j h t k ; s c h A d b n z i j v u p l o . k

CyKkd fpfdRI k i Hkkjh
 @cky fodkl ifj; kst uk
 vf/kdkjh@fityk i pk; r
 jkt vf/kdkjh@fityk
 dk; ZlE vf/kdkjh
 , 0, u0, e0@vk'kk@
 vkxuckMh dk; Zl=hZ@xte
 izkku dh l gk; rk yh tk; s
 ftykf/kdkjh@e[; fodkl
 vf/kdkjh@e[; fpfdRI k
 vf/kdkjh@CyKkd fpfdRI k
 i Hkkjh@ fityk dk; ZlE
 vf/kdkjh@cky fodkl
 ifj; kst uk vf/kdkjh
 , 0, u0, e0@
 vk'kk@vkxuckMh dk; Zl=hZ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

<p>djus vk; s CykMl eSMdy vKMQI j lk; bšk d o cykMl ukMy vf/kdkjh dskvo'; d tkudkj nsh rFkk mudsgLrk{kj VSh 'khV ij yxhA</p> <p>✓ iR; d fnu dh lekIr ds lk'pkr gj ,0,u0,e CykMl Lrj ij CykMl eSMdy vKMQI j lk; bšk d dskvo' dh tlp dh xbz efgykvla o HRP efgykvla dh l d; k dscjseacr; xhA bl gsgog ik: lk 7 dsk iz; kx eayk; xhA</p> <p>✓ I Hkh high risk pregnancy ; kfu fd pflgr tVyrk l s xfl r efgykvla dh l d; k mi dlnokj miyC/k jgschA vk'kk dsk bu I Hkh efgykvla dh l puk viusikl j[kuh gskh</p> <p>✓ nl oafnu iR; d l kepkr; d fpdfRI k bdkbz ij tVyrk l s xfl r efgykvla ds fy; s dsi vk; kft r fd; k tk; sk vks vko'; d l ok; s tkp o ijke'kz fn; k tk; skA vk'kk ; g l quf'pr djsch fd ml ds xk d dh pflgr HRP efgyk nl oafnu l ok yus vo'; vk; A</p> <p>✓ I Hkh HRPefgykvla dh ekfl d Vsdax dh tk; schA vk'kk vks vkacuckMla dk; Zf=; ka dh Hkh bu efgykvla dsk i kFkfedrk ds vk/kkj ij QkM/ks/i djus ds funk fn; s tk; xAnl oafnu 102 , dC; w/bI dh l ok; a Hkh iz; kx eayk; h tk l drh gA</p> <p>✓ ; fn fd l h mi dlnz ds xk d eafdl h dkj .ko'k l = l a kfnr ugha gsk ik; k rks ml dk vk; kst u ukba fnu , 0, u0, e }kjk fd; k tk l drk gA</p> <p>✓ EkkrRo l lrg ds nks ku ; fn dkbz efgyk NW tkrh gS rks iR; d n'kk ea ukba fnu e[; ; fpdfRI k vf/kdkjh @CykMl fpdfRI k i Hkh jh , 0, u0, e ds l g; ksk mi dlnka ij fo'kSk l =ka dk vk; kst u dj; k; xhA</p> <p>i ; bšk .k</p> <p>CykMl eSMdy vKMQI j lk; bšk d] e[; ; l fodk o tuin ukMy vf/kdkjh ds vrfjDr tuin Lrjh; LokLF; vf/kdkjh o vkbDI homho, l vf/kdkjh QhYM vf/kdkjh i wkr; k l g; ksk nshA</p> <ul style="list-style-type: none"> • I Hkh CykMl eSMdy vKMQI j lk; bšk d o tuin ukMy vf/kdkjh l; bšk d iR; d fnu 5 l =ka dk vuqlo.k djrs 	<p>CykMl eSMdy vKMQI j lk; bšk d@e[; ; l fodk o tuin ukMy vf/kdkjh , 0, u0, e0@vk'kk</p>
--	--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

<p>gq s fuEu xfrfof/k; kan[ka&</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ I = dk I ā knu]o 0; oLFkk ✓ I = fuf'pr LFku o I e; I s gks jgk gS fd ugha ✓ otu e'khu o vU; midj.k I gh I s dke dj jgs gāfd ugha ✓ I okvka dh xqkoRrk ✓ , 0, u0, e }jkk nh tk jgh I ok; a ✓ VSyh 'khV dh miyC/krkj ✓ Lk= ij ekfcykbt'sku vk'kk o vkaxuckMhdk; Zl=tz }jkk ✓ vkbDI hOMhO, I 0 dk I g; kx ikr gks jgk gS fd ugha <ul style="list-style-type: none"> • Lk= ij lk; bsk.k ds lk'pkr eSMdy vkMQL j lk; bskd o tuin ukMy vf/kdkjh ik: i 1 ; kfu fd VSyh 'khV ij I e; Mkyrs gq sgLrk{kj dj&A <p>fjiksZ nkud fjiksZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikfrfnu I = dsnk'sku o lk'pkr VSyh 'khV ¼ ik: i 1½ ea , 0, u0, e dkWye 7&20 HkjsxA I kfk ea ik: i 9 ea Hkh fnol dh I puk HkjsxA • IkR; d CykMl eSMdy vkMQL j lk; bskd iR; d fnu viusDyLVj dh fjiksZ ik: lk 7 ij , 0, u0, e ds I g; kx I sl d'fyr djsxA ; g fjiksZ ml fnu dy fplgk'fdr] dy tkp dh xbZ rFkk dy HRP efgykva dh I ; k dk dy ; kx gksxA • iR; d fnu I = dh I ekfir ij CykMl eSMdy vkMQL j lk; bskd }jkk nh xbZ fjiksZ ds vk/kkj ij CykMl fpdfRI kIkHkj I gk; d 'kksk vf/kdkjh ds I g; kx I s CykMl Lrj ij <ul style="list-style-type: none"> ✓ dy xHkZrh efgyk; a fplgk'fdr] ✓ dy xHkZrh efgyk; aftudh tkp dh xbZ rFkk ✓ dy HRP efgykva <p>dh I ; k I aakh I puk I h/ks www.suposhanup.in dh ocl kbV ij tk; sxA ; fn fdl h dkj.ko'k ; g NW tkrh gS tks bl dk I dyu ik: lk 8 ij tuin Lrj ij dh tk; sxA ik: lk 8 iR; d n'kk eafnukad 10 Qojh 2016 rd</p>	<p>fTykf/kdkjh@e[; fodkl vf/kdkjh</p> <p>CykMl eSMdy vkMQL j lk; bskd@e[; I fodk o tuin ukMy vf/kdkjh</p> <p>vf/kdkjh@cky fodkl ifj; kst uk vf/kdkjh</p> <p>e[; fpdfRI k vf/kdkjh @CykMl fpdfRI k iHkj@ , 0, u0, e0@CykMl I pdkad vf/kdkjh</p> <p>CykMl eSMdy vkMQL j lk; bskd@e[; I fodk o tuin ukMy vf/kdkjh</p>
--	--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

mchjsy@gmail.com upnhmfu@gmail ij
mi yC/k dj k nh tk; A

EkrRo I lrg dslk'pkr dh fji kVz

- 8 fnol i wkZ gks tkus ij ,0, u, e0 ijs mi dñnz ea xteokj l puk ik: i9ij HkjschA
- mi dñnz dh l puk l dfyr djrs gq s Cykñd Lrj dh l puk ik: i10ij Cykñd dh l puk Hkj h tk; sch
- Cykñd dh l puk l dfyr djrs gq ik: i11 ij tuin dh l puk Hkj h tk; sch

ekrRo I lrg dsckn dk dk;Z

- i R; d mi dñnz ij ,0, u0, e }kj k xHkzrh efgykva dh l eLr l puk jftLVj ea vdr dh tk; schA bl jftLVj ea ntZ xHkzrh efgykva dh tkp i R; d ekg djrs gq s ml s v|kof/kd j[kk tk; sk vkš mudks LoLFk o i k s "kr j[kus dk iz kl tkjh j[kk tk; skA vkxkeh ekgka ea u; h xHkzrh efgykva dh l puk Hkh bl h jftLVj ea ntZ fd; k tkuk l quf'pr fd; k tk; skkA
- EkrRo I lrg dh l ekflr ds, d fnu ds vñnj ik: i 9dks Hkjrs gq s Cykñd Lrjh; fji k s Z i f "kr dh tk; schA
- EkrRo I lrg dh l ekflr ds nks fnu ds vñnj Hkjrs gq s tuin Lrjh; fji k s Z i f "kr ik: i 10 ea dh tk; schA
- HRP efgykva dh gj ekg ,0, u0, e0 }kj k vi us {k= ea tkp dh tk; sch vkš vko'; drk i Mús ij l kenkf; d LokLF; dñnz ij mi yC/k 102 ,EC; gñd dk iz kx djrs gq Hkrtz vkš bykt dj; k tk; skA bu efgykva dks i d o gkus rd rFkk vko'; drk i Mús ij 42 fnu rd l Rkr-Oknvksvi eaj [kk tk; sk vkš budks [krjs l sckgj fudkyus dk iz kl fd; k tk; skA

uk%& mfVyf[kr mDr 11 ik: ik ¼ fr l y/xu½ dh l kñV dkih jk'Vh; LokLF; fe'ku] jkT; dk; ðe izlVku bñkz ds ekr LokLF; vutñx }kj l eLr eñ; fpfdRI k/kdkjh@ft yk dk; ðe izlVkd jk'Vh; LokLF; fe'ku dks i Fkd l s mi yC/k dj; h tk; schA

ft ykf/kdkjh@eñ; fodkl vf/kdkjh@eñ; fpfdRI k vf/kdkjh@Cykñd fpfdRI k i Hkkjh

ft ykf/kdkjh@eñ; fodkl vf/kdkjh@eñ; fpfdRI k vf/kdkjh@Cykñd fpfdRI k i Hkkjh

eñ; fpfdRI k vf/kdkjh @Cykñd fpfdRI k i Hkkjh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

प्रारूप 1

दिनांक :

मातृत्व सप्ताह- दिवसवार लाभार्थी सूची एवं टेली शीट

कॉलम 1-6 मातृत्व सप्ताह के पूर्व भरे जायेंगे, कॉलम 7-20 मातृत्व सप्ताह के दौरान भरे जायेंगे

जनपद का नाम

ब्लॉक का नाम

सी0एच0सी / बी0पी0एच0सी0

उपकेन्द्र का नाम

ए0एन0एम0 का नाम

ए0एन0एम का मोबाइल न0

गांव व सत्र स्थल का नाम

आशा का नाम

आशा का मो0 न0

आशा एवं आंगनवाड़ी के सहयोग से भरा जाए

क्रम संख्या	मातृत्व सप्ताह के पूर्व भरा जायेगा						प्रसव पूर्व सेवा-(कृपया सेवा प्रदान करने के पश्चात अंकित करें)													
	गर्भवती महिला का नाम	गर्भवती महिला का एम0सी0टी0एस0 आई0 डी0 नम्बर #	महिला के पति का नाम	उम्र	जाति-सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	सत्र पर की जाने वाली प्रसव पूर्व जांच की संख्या (पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी)	पंजीकरण			प्रसव पूर्व जांचे					प्रसव पूर्व देखभाल/पोषण					
							ए.एन.सी. पंजीकरण हॉ/नही	एम.सी.पी. कार्ड (जारी एवं अद्यावधिक किया गया) हॉ/नही	एम.सी.पी. कार्ड पर प्रसव की संभावित तिथि अंकित की गयी हॉ/नही	रक्तचाप की रीडिंग	हीमोग्लोबिन की मात्रा(ग्राम प्रतिशत)	शर्करा हेतु मूत्र की जांच (शुगर पायी गयी हॉ/नही)	अल्बुमिन हेतु मूत्र की जांच (अल्बुमिन है हॉ/नही)	पेट की जांच करी गई हॉ/नहीं	वजन	टी टी1/टी टी 2/बस्टर हॉ/नही	आयरन तथा फोलिक एसिड का वितरण- 100/200	टी.एच.आर. का वितरण हॉ/नही	जन्म की योजना बनायी गयी- गर्भावस्था के तृतीय त्रैमास में हॉ/नही	अति जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं (प्रबंधन एवं 05 फरवरी के लिये संदर्भन एवं फॉलो-अप) हॉ/नही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनको मातृत्व दिवस के दौरान सेवा दी जानी है.....							कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनको मातृत्व दिवस के दौरान सेवा दी गई.....							कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जो हाई रिस्क निकली.....						
(उपरोक्त सूचना उपकेन्द्र के हर गांव की मातृत्व सप्ताह से पूर्व संकलित की जायेगी और ब्लॉक कार्यालय पर ए0एन0एम द्वारा भेजी जायेगी।)							(उपरोक्त सूचना हर गांव के लिये मातृत्व दिवस के दिन संकलित की जायेगी और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षक को दिवस की समाप्ति पर ए0एन0एम द्वारा भेजी जायेगी।)													

नयी गर्भवती महिलाये जिनका पहली बार पंजीकरण हो रहा है उनका यह कॉलम ब्लॉक से न0 लेने के पश्चात भरा जायेगा। पूर्व से पंजीकृत महिलायों का नम्बर आशा के पास होगा जिसे वह पहले से भरेगी।

आशा का हस्ताक्षर

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का हस्ताक्षर

ए0एन0एम का हस्ताक्षर

ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षक का नाम, हस्ताक्षर व अनुश्रवण का समय

आई0सी0डी0एस0 विभाग की मुख्य सेविका /अन्य विभाग के अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर व अनुश्रवण का समय

जनपद नोडल अधिकारी नाम, हस्ताक्षर व अनुश्रवण का समय

मातृत्व दिवस वाले दिन इस सूचना को अनुश्रवण अधिकारी द्वारा सत्र भ्रमण के समय भरा जायेगा।

प्रारूप 2

मातृत्व सप्ताह- ए0एन0एम0 उपकेन्द्र कार्य योजना

यह प्रारूप मातृत्व सप्ताह के पूर्व ए0एन0एम0 द्वारा भरा जायेगा तथा ब्लॉक कार्यालय को क्लस्टर बनाने हेतु भेजा जायेगा

ब्लॉक :	प्रभारी चिकित्सा प्रकारी :
प्रा.स्वा.केन्द्र / शहरी क्षेत्र :	ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षक का नाम :

ए0एन0एम0 का नाम	ए0एन0एम0 का मोबाइल न0
-----------------	-----------------------

क्रम संख्या		बुधवार 27.01.2016	बृहस्पतिवार 28.01.2016	शुक्रवार 29.01.2016	शनिवार 30.01.2016	रविवार 31.01.2016	सोमवार 1.2.2016	मंगलवार 2.2.2016	बुधवार 3.2.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गांव का नाम								
2	सत्र स्थल का स्थान								
3	सत्र दिवस								
4	सत्र सम्बन्धित आशा का नाम								
5	आशा का मोबाइल न0								
6	सत्र सम्बन्धित आंगनबाड़ी का नाम								
7	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का मोबाइल न0								
8	आंगनबाड़ी सहायिका का नाम								
9	ग्राम प्रधान का नाम								
10	ग्रामवार कुल लक्षित गर्भवती महिलाओं की संख्या (यह सूचना प्रारूप 1 के कुल योग से आयेगी)								
11	उपकेन्द्र में कुल चिन्हांकित गर्भवती महिलाओं की संख्या(क्रम संख्या 10 में दिये गये सभी गांवों की कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या को जोड़ते हुये)								

ए0एन0एम का हस्ताक्षर..... ब्लॉक चिकित्साप्रभारी का हस्ताक्षर.....

प्रारूप 3

मातृत्व सप्ताह— ब्लॉक स्तरीय पर्यवेक्षण योजना

यह प्रारूप मातृत्व सप्ताह के पूर्व ब्लॉक चिकित्साप्रभारी की अध्यक्षता में भरा जायेगा तथा इसकी एक प्रति मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय व एक प्रति जनपद स्थित कन्ट्रोल रूम में भेजी जायेगी

ब्लॉक का नाम		जनपद का नाम	
क्लस्टर (5 उपकेन्द्र पर एक)	उपकेन्द्र का नाम	पर्यवेक्षक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का नाम	पर्यवेक्षक मुख्य सेविका का नाम
क्लस्टर 1	उपकेन्द्र 1.....		
	उपकेन्द्र 2.....		
	उपकेन्द्र 3.....		
	उपकेन्द्र 4.....		
	उपकेन्द्र 5.....		
क्लस्टर 2	उपकेन्द्र 6.....		
	उपकेन्द्र 7.....		
	उपकेन्द्र 8.....		
	उपकेन्द्र 9.....		
	उपकेन्द्र 10.....		
क्लस्टर 3	उपकेन्द्र 11.....		
	उपकेन्द्र 12.....		
	उपकेन्द्र 13.....		
	उपकेन्द्र 14.....		
	उपकेन्द्र 15.....		
क्लस्टर 4	उपकेन्द्र 16.....		
	उपकेन्द्र 17.....		
	उपकेन्द्र 18.....		
	उपकेन्द्र 19.....		
	उपकेन्द्र 20.....		
क्लस्टर 5	उपकेन्द्र 21.....		
	उपकेन्द्र 22.....		
	उपकेन्द्र 23.....		
	उपकेन्द्र 24.....		
	उपकेन्द्र 25.....		

ब्लॉक स्तरीय बाल विकास परियोजना अधिकारी के हस्ताक्षर	ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी का हस्ताक्षर
---	-------------------------------------

प्रारूप 4

मातृत्व सप्ताह- ब्लॉक स्तरीय दिवसवार सत्र माइक्रोप्लान

ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी का नाम.....

बाल विकास परियोजना अधिकारी का नाम.....

यह प्रारूप मातृत्व सप्ताह के पूर्व ब्लॉक चिकित्साप्रभारी व बाल विकास परियोजना द्वारा मातृत्व दिवस के पूर्व 5 प्रतियों में भरा जायेगा प्रत्येक ब्लॉक पर 8 दिवसों के 8 प्रारूप भरे जायेंगे

प्रारूप की एक प्रति ब्लॉक कार्यालय पर रख जायेगी, एक प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी, एक मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय व एक प्रति जनपद स्थित कन्ट्रोल रूम में भेजी जायेगी

दिवस तिथि.....दिन.....(उदाहरण -मातृत्व सप्ताह का पहला दिन, 27/01/2016 बुधवार)

क्लस्टर संख्या	क्लस्टर मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षक का नाम व मोबाइल न0 (प्रारूप 3 की सूचना के आधार पर)	पर्यवेक्षक मुख्य सेविका का नाम व मोबाइल न0	उपकेन्द्र संख्या	ए0एन0एम		आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री		आशा		मातृत्व दिवस गांव में किस स्थल पर संचालित किया जा रहा है (यह सूचना प्रारूप 2 के क्रम संख्या 2 के कुल योग से आयेगी)	उपकेन्द्र के अन्दर आने वाली चिन्हांकित गर्भवती महिलायें की संख्या जिनको सेवा दी जानी है(यह सूचना प्रारूप 1 के कुल योग से आयेगी)
				नाम	मोबाइल न0	नाम	मोबाइल न0	आशा का नाम	आशा का मोबाइल न0		
			1								
			2								
			3								
			4								
			5								
			6								
			7								
			8								
			9								
			10								
			11								
			12								
			13								
			14								
			15								
			16								
			17								
			18								
			19								
			20								
			21								
			22								
			23								
			24								
			25								

बाल विकास परियोजना अधिकारी का हस्ताक्षर.....

ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी का नाम व हस्ताक्षर.....

प्रारूप 5

मातृत्व सप्ताह— जनपद स्तरीय पर्यवेक्षण प्लान

जिलाधिकारी का नाम

मुख्य विकास अधिकारी का नाम.....

यह प्रारूप मातृत्व सप्ताह के पूर्व ब्लॉक मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नोडल अधिकारियों हेतु बनाया जायेगा।

क्रम संख्या	ब्लॉक का नाम	क्लस्टर की सूचना			नोडल अधिकारी संबंधी सूचना		ब्लॉक में कुल चिन्हांकित गर्भवती महिलाओं की संख्या
		क्लस्टर संख्या	क्लस्टर मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षक का नाम (प्रारूप 3 की सूचना के आधार पर)	क्लस्टर पर्यवेक्षक मुख्य सेविका का नाम	ब्लॉक में अनुश्रवण हेतु नामित नोडल अधिकारी का नाम	नोडल अधिकारी की मातृत्व सप्ताह के दौरान भ्रमण की तिथियां	
		1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		1					
		2					
		3					
		4					
		5					
जनपद का कुल योग							

मुख्य चिकित्सा अधिकारी का हस्ताक्षर

मुख्य विकास अधिकारी का हस्ताक्षर.....

जिलाधिकारी का हस्ताक्षर

प्ररूप 6
नियुक्ति पत्र
नियुक्ति पत्र—ब्लॉक स्तरीय मेडिकल ऑफिसर

सेवा में,
डॉ०/श्री/श्रीमती
पदनाम—
पता—

राज्य पोषण मिशन के तत्वाधान में प्रदेश के समस्त गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु एक अभियान दिनांक नाम — श्री/श्रीमती पदनाम— ब्लॉक/वार्ड संख्या— के क्लस्टर संख्या— का पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है।

आपसे अपेक्षित है कि उपर्युक्त अभियान के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कर अभियान को सफल बनायेंगे। आपकी सहायतार्थ मुख्य सेविका सुश्री/श्रीमती.....मो० नं०—..... को आपके साथ सम्बद्ध किया जाता है।

संलग्नक —

1. आठ दिवसों का दिवसवार सत्र प्लान से सम्बन्धित सूचना
2. क्लस्टर में आने वाले 5 उपकेन्द्रों की ए०ए०एम० की कार्ययोजना
3. क्लस्टर का रिपोर्टिंग प्ररूप

जिलाधिकारी

प्रतिलिपि—मुख्य चिकित्सा प्रभारी ब्लॉक को सभी सम्बन्धित को सूचित करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी

प्ररूप 6
नियुक्ति पत्र
नियुक्ति-पत्र-जनपद स्तरीय नोडल ऑफिसर

सेवा में,
श्री/श्रीमती
पदनाम-
पता-

राज्य पोषण मिशन के तत्वाधान में प्रदेश के समस्त गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु हेतु एक अभियान दिनांक 2015 से2015 तक चलाया जा रहा है। एतद्वारा

नाम - श्री/श्रीमती पदनाम- ब्लाक/वार्ड संख्या- का पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है।

आपसे अपेक्षित है कि उपर्युक्त अभियान के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरतः अनुपालन सुनिश्चित कर अभियान को सफल बनायेंगे। आपकी सहायतार्थ मुख्य सेविका सुश्री/श्रीमती.....मो0 नं0-..... को आपके साथ सम्बद्ध किया जाता है।

संलग्नक -

8 दिवसों का दिवसवार सत्र प्लान से सम्बन्धित सूचना

प्रतिलिपि-ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी, ब्लाक जिलाधिकारी को सभी सम्बन्धित को सूचित करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी

प्रारूप 7

मातृत्व सप्ताह— ब्लॉक स्तरीय दैनिक रिपोर्टिंग

इस प्रारूप पर सूचना मातृत्व सप्ताह के हर दिन क्लस्टर मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षक द्वारा ए0एन0एम से लेते हुये बनायी जायेगी।

दिवस.....

तिथि.....

क्लस्टर मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षक का नाम

क्लस्टर पर्यवेक्षक मुख्य सेविका का नाम

क्लस्टर संख्या	गांव का नाम	ए0एन0एम का नाम	ग्रामवार कुल लक्षित गर्भवती महिलाओं की संख्या	ग्रामवार कुल चिन्हित महिलाओं की संख्या जिनकी मातृत्व दिवस के दिन जांच हुई	ग्रामवार कुल चिन्हित महिलाओं की संख्या जा High risk pregnancy निकली
1					
2					
3					
4					
5					
ब्लॉक का कुल योग					

क्लस्टर मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर

ब्लॉक चिकित्साप्रभारी का हस्ताक्षर.....

प्रारूप 8

मातृत्व सप्ताह- जनपद स्तरीय दैनिक रिपोर्टिंग

इस प्रारूप पर सूचना मातृत्व सप्ताह के हर दिन ब्लॉक से संकलित करते हुये जनपद पर प्रेषित की जायेगी।

दिवस.....

तिथि.....

क्रम संख्या	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी का नाम	ब्लॉकवार कुल लक्षित गर्भवती महिलाओं की संख्या	ब्लॉकवार कुल चिन्हित महिलाओं की संख्या जिनकी मातृत्व दिवस के दिन जांच हुई	ब्लॉकवार कुल चिन्हित महिलाओं की संख्या जो High risk pregnancy निकली
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
जनपद का कुल योग					

मुख्य चिकित्सा अधिकारी का हस्ताक्षर

प्रारूप 9
उपकेन्द्र रिपोर्टिंग प्रारूप

इस प्रारूप पर सूचना मातृत्व सप्ताह की समाप्ति पर ए0एन0एम0 द्वारा ब्लॉक कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगी।

उपकेन्द्र का नाम.....															ब्लॉक का नाम.....			जनपद का नाम		
उपकेन्द्र का नाम	गांव में कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या	गर्भवती महिलायें जो सेवायें लेने आयी	गर्भवती महिलायें जिनका रक्तचाप लिया गया	गर्भवती महिलायें जिनका वजन लिया गया	गर्भवती महिलायें जिनकी खून की जांच की गई	हीमोग्लोबिन की जांच		गर्भवती महिलायें जिनके पेट की जांच की गई	गर्भवती महिलायें जिनकी मूत्र की जांच की गई	गर्भवती महिलायें जिनकी मूत्र की जांच एल्ब्यूमिन के लिये की गई	गर्भवती महिलायें जिनकी मूत्र की जांच शुगर के लिये की गई	गर्भवती महिलायें जिनको आयसन की गो लिया वितरित की गई		गर्भवती महिलायें जिनको टिटनेस की टीका दिया गया	गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनमें किसी प्रकार की जटिलता पायी गई	जटिलता से ग्रसित महिलाओं की संख्या जिनको चिकित्सा ईकाई भेजा गया				
						गर्भवती महिलायें जिनमें एनीमिया है(<11 gm%)	गर्भवती महिलायें जो गंभीर एनीमिया से ग्रसित है(<7 gm%)					100	200							
गांव 1																				
गांव 2																				
गांव 3																				
गांव 4																				
गांव 5																				
गांव 6																				
गांव 7																				
गांव 8																				
उपकेन्द्र का कुल योग																				

ए0एन0एम का हस्ताक्षर.....

ब्लॉक चिकित्साप्रभारी का हस्ताक्षर.....

प्रारूप 10
ब्लॉक रिपोर्टिंग प्रारूप

इस प्रारूप पर सूचना मातृत्व सप्ताह की समाप्ति पर ब्लॉक चिकित्साप्रभारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के कन्ट्रोल रूम व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी।

उपकेन्द्र का नाम	ब्लॉक का नाम.....						जनपद का नाम						गर्भवती महिलायें जिनको आयुर्वन की गोलिया वितरित की गईं		गर्भवती महिलायें जिनको टिटनेस की टीका दिया गया	गर्भवती महिलाओं की संख्या ' जिनमें किसी प्रकार की जटिलता पायी गईं	जटिलता से ग्रसित महिलाओं की संख्या जिनको चिकित्सा ईकाई भेजा गया
	गांव में कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या	गर्भवती महिलायें जो संचायें लेने आयी	गर्भवती महिलायें जिनका रक्तचाप लिया गया	गर्भवती महिलायें जिनका वजन लिया गया	गर्भवती महिलायें जिनकी खून की जांच की गईं	हीमोग्लोबिन की जांच	गर्भवती महिलायें जिनके पेट की जांच की गईं	गर्भवती महिलायें जिनकी मूत्र की जांच की गईं	गर्भवती महिलायें जिनकी मूत्र की जांच शुगर के लिये की गईं	गर्भवती महिलायें जिनको मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड दिया गया गया	100	200					
					गर्भवती महिलायें जिनमें एनीमिया हैं(<11 gm%)	गर्भवती महिलायें जो गंभीर एनीमिया से ग्रसित हैं(<7 gm%)											
उपकेन्द्र 1																	
उपकेन्द्र 2																	
उपकेन्द्र 3																	
उपकेन्द्र 4																	
उपकेन्द्र 5																	
उपकेन्द्र 6																	
उपकेन्द्र 7																	
उपकेन्द्र 8																	
उपकेन्द्र 9																	
उपकेन्द्र 10																	
उपकेन्द्र 11																	
उपकेन्द्र 12																	
उपकेन्द्र 13																	
उपकेन्द्र 14																	
उपकेन्द्र 15																	
उपकेन्द्र 16																	
उपकेन्द्र 17																	
उपकेन्द्र 18																	
उपकेन्द्र 19																	
उपकेन्द्र 20																	
उपकेन्द्र 21																	
उपकेन्द्र 22																	
उपकेन्द्र 23																	
उपकेन्द्र 24																	
उपकेन्द्र 25																	

ब्लॉक का कुल योग

ब्लॉक चिकित्साप्रभारी का हस्ताक्षर.....

प्रारूप 11
जनपद रिपोर्टिंग प्रारूप

इस प्रारूप पर सूचना मातृत्व सप्ताह की समाप्ति पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संकलित की जायेगी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवाने के पश्चात परिवार कल्याण निदेशालय को प्रेषित करायी जायेगी

उपकेन्द्र का नाम	गांव में कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या	गर्भवती महिलायें जो सेवायें लेने आयी	गर्भवती महिलायें जिनका रक्तचाप लिया गया	गर्भवती महिलायें जिनका वजन लिया गया	गर्भवती महिलायें जिनकी खून की जांच की गई	हीमोग्लोबिन की जांच		गर्भवती महिलायें जिनके पेट की जांच की गई	गर्भवती महिलायें जिनकी मूत्र की जांच एल्ब्यूमिन के लिये की गई	गर्भवती महिलायें जिनकी मूत्र की जांच शुगर के लिये की गई	गर्भवती महिलायें जिनको मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड दिया गया गया	गर्भवती महिलायें जिनको आयरन की गो लिया वितरित की गई		गर्भवती महिलायें जिनको टिटनेस की टीका दिया गया	गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनमें किसी प्रकार की जटिलता पायी गई	जटिलता से ग्रसित महिलाओं की संख्या जिनको चिकित्सा ईकाई भेजा गया
						गर्भवती महिलायें जिनमें एनीमिया हैं(<11 gm%)	गर्भवती महिलायें जो गंभीर एनीमिया से ग्रसित हैं(<7 gm%)					100	200			
ब्लॉक का नाम 1																
ब्लॉक का नाम 2																
ब्लॉक का नाम 3																
ब्लॉक का नाम 4																
ब्लॉक का नाम 5																
ब्लॉक का नाम 6																
ब्लॉक का नाम 7																
ब्लॉक का नाम 8																
ब्लॉक का नाम 9																
ब्लॉक का नाम 10																
ब्लॉक का नाम 11																
ब्लॉक का नाम 12																
ब्लॉक का नाम 13																
ब्लॉक का नाम 14																
ब्लॉक का नाम 15																
जनपद का कुल योग																

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर.....

मुख्य विकास अधिकारी के हस्ताक्षर.....